न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 1/2024 निर्णय दिनांक :–28.01.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जरिये तहसीलदार देवली

बनाम

1. कमला पत्नि अर्जुनलाल जाति बैरवा निवासी माधोसिंहपुरा उर्फ दौलता तहसील देवली।
2. गीता पुत्री अर्जुनलाल जाति बैरवा निवासी माधोसिंहपुरा उर्फ दौलता हाल निवास अम्बापुरा कोलोनी दौलता मोड तहसील देवली।
3. राजूलाल पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा निवासी माधोसिंहपुरा उर्फ दौलता तहसील देवली।
4. गोपाल पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा निवासी माधोसिंहपुरा उर्फ दौलता तहसील देवली।
5. श्योकिशन पुत्र सुखदेवा जाति बैरवा निवासी माधोसिंहपुरा उर्फ दौलता तहसील देवली।
6. सोसर देवी पुत्री सुखदेवा जाति बैरवा निवासी माधोसिंहपुरा उर्फ दौलता हाल गोपीपुरा कोलोनी तहसील देवली।
7. सीता देवी पुत्री सुखदेवा जाति बैरवा निवासी माधोसिंहपुरा उर्फ दौलता हाल सीतारामपुरा (गावडी) तहसील देवली।
8. माना देवी पुत्री सुखदेवा जाति बैरवा निवासी माधोसिंहपुरा उर्फ दौलता हाल पनवाड तहसील देवली।

–अप्रार्थी गण–

उपस्थिति :–
पेरोकार सरकार

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2
इकबालिया जवाब
अप्रार्थी संख्या 3

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माधोसिंहपुरा का आ0न0 213/571 रकबा 0.01 किस्म गे. मु बाडा कमला पत्नि अर्जुनलाल 1/4 गीता पुत्री अर्जुनलाल 1/4 सुखदेवा पुत्र मागीलाल 1/2 जाति बैस्या सा.देश के नाम गैर खातेदारी से रूप से बिना किसी आधार के भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज की दिये जाने से इन्द्राज दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत निम्नानुसार माननीय न्यायालय प्रस्तुत है– ग्राम माधोसिंहपुरा के साबिक आ0न0 12/1 हाल आ0न0 213/571 किस्म गे. मु. बाड़ा पर सुखदेवा अर्जुनलाल पुत्र मागीलाल को साबिक रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार कही भी गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड नहीं किया गया है। ग्राम माधोसिंहपरा के हाल आ0न0 213/571 रकबा 0.05 हे0 किस्म गे. मु बाड़ा भु–प्रबन्ध विभाग द्वारा सुखदेवा अर्जुनलाल पुत्र मांगीलाल के नाम मिसल बन्दोबस्त में गैर खातेदारी से दर्ज किया गया है। एन.एच. 52 के फोरलेन विस्तार में उक्त आ0न0 213/571 रकबा 0.05 हे0 किस्म गे.मु बाड़ा मेसे 0.04 हे0 एन.एच.52 में अवाप्त किया जाकर एन.एच.ए.आई. के नाम दर्ज रिकार्ड है। वर्तमान में ग्राम माधोसिंहपुरा के हाल आ0नं0 213/571 रकबा 0.01 हे0 किस्म गे. मु. बाड़ा कमला पत्नि अर्जुमलाल 1/4 गीता पुत्री अर्जुनलाल 1/4 सुखदेवा पुत्र मांगीलाल 1/2 जाति बैरवा सा.देह के नाम गैर खातेदारी से दर्ज रिकार्ड है। सुखदेवा पुत्र मांगीलाल जाति बैरवा सा.देह की मृत्यु हो जाने से इसके

28.1.2025

वारिसान राजूलाल गोपाल श्योकिशन पुत्र सुखदेवा सोसर देवी सीतां देवी माना देवी पुत्रिया सुखदेवा जाति बैरवा निवासी माधोसिंहपुरा उर्फ दौलता को प्रतिवादी बनाया गया है। आ0न0 213/571 रकबा 0.01 है0 एनएच 52 के मध्य से 20 मीटर की दूरी के मध्य स्थित है। मौके पर प्रार्थी एवं दर्ज रिकार्ड गेर खातेदारान मेसे किसी का भी कब्जा नहीं है। नही मौके पर कोई बाड़ा बना हुआ है। ग्राम माधोसिहपुरा के उक्त आ0न0 मे नियमानुसार आवंटन/नियमन नहीं होने से रिकार्ड दुरुस्ती हेतु भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय की सेवागे प्रस्तुत हैं।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के दर्ज की गई भूमि को चारागाह दर्ज करने का आदेश दिलाना फरमावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और जवाब प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की ओर से पेश किया। अतः अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 8 की ओर भी तामिल मानते हुए जवाब स्वीकार किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 8 की ओर से जवाब इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 1 गलत है, स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि साबिक खसरा नम्बर 12/1 हाल खसरा नम्बर 213/571 रकबा 0.05 है0 भूमि लगभग 30–40 वर्षो से प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज है तथा उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से ही बाड़ा बना हुआ है जिसमे प्रार्थीगण अपने जानवर बांधते है, कृषि यंत्र, जलाऊ लकड़िया व जानवरो का चारा रखते है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है। वर्तमान में भी प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर मोके पर कब्जा है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 2 आंशिक रूप से स्वीकार है। वास्तविकता यह है कि साबिक खसरा नम्बर 12/1 हाल खसरा नम्बर 203/571 रकबा 0.05 है0 गै0मु0 बाड़ा तहसीलदार जी देवली द्वारा निशुल्क आवंटन किया गया है तब से ही जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, व मिसल बंदोबस्त मे प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदार के रूप मे दर्ज है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 3 स्वीकार है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण को 0.04 है0 का मुआवजा मिल चुका है तथा मोके पर बची 0.01 है0 भूमि प्रार्थीगण के नाम गैर खातेदारी मे दर्ज है। उक्त शेष बची जमीन पर मोके पर प्रार्थीगण का कब्जा है जिन्होने मोके पर तारबंदी कर बाड़ा बना रखा है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है जो फोरलेन के मध्य से करीब 30–40 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 5 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 6 गलत है, स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण के पूर्वजो के समय से ही बाड़ा बना हुआ है जिसमे प्रार्थीगण अपने जानवर बांधते है, कृषि यंत्र जलाउ लकड़िया व जानवरो का चारा रखते है तथा उपयोग उपभोग कर रहे है। वर्तमान मे भी प्रार्थीगण का उक्त आराजीयात पर मोके पर निर्बाध रूप से काबिज है। मुआवजा मिलने के बाद शेष बची जमीन 0.01 है0 भूमि फोरलेन के मध्य से करीब 30–40 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रार्थना पत्र का चरण नम्बर 7 गलत है, स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण को उक्त जमीन नियमानुसार निशुल्क रूप से तहसीलदार जी देवली द्वारा आवंटन की गई है जिसके सारे दस्तावेज जमाबंदी, खसरा गिरदावरी, खतोनी जमाबंदी, मिसल बंदोबस्त, मिलान क्षेत्रफल, अखबार का साया, नामांतकरण का नोट जमाबंदी आदि तहसील कार्यालय मे मोजूद है जिसकी नकले प्रार्थीगण के पास मोजूद है। सम्पूर्ण हिस्से का पारिवारिक समझोते के तहत अप्रार्थीगण का है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 8 फोरमल पक्षकार है। टाल है। अतः जवाब प्रौर्थनी पत्र पे कर निवेदन है कि तहसीलदार जी देवली द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो गलत है, नियमो के विरूद्ध है

28.1.2015

जो चलने योग्य नही है इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 3 बहस मे अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक ख. नं. 12 मिन रकबा 3 बिसवा से हाल ख. नं. 213/571 रकबा 0.05 है0 बनना दर्शित है। जमाबन्दी सम्वत 2033–36 अनुसार साबिक ख. नं. 12/1 रकबा 20 बीघा 1 बिस्वा में से तहसीलदार द्वारा अलग अलग नामान्तकरण से अलग अलग लोगो को अलग अलग रकबे की बाड़े के रूप में भूमि दी गई। भू–प्रबन्ध विभाग की खतोनी जमाबन्दी सम्वत 2046–65 के अनुसार सुखदेवा अर्जुनलाल पिता मांगीलाल कोम बैरवा हि. ब. सा. देह गैर खातेदार के रूप में हाल ख. नं. 213/571 रकबा 0.05 है0 गै. मु. बाड़ा के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2066–69 में हाल ख. नं. 213/571 रकबा 0.05 है0 सुखदेवा अर्जुनलाल पिता मांगीलाल कोम बैरवा सा. देह गैर खातेदार किस्म गै. मु. बाड़ा के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है और विरासत के नामान्तकरण संख्या 338/20.11.12 से अर्जुनलाल पिता मांगीलाल हि. 1/2 के बजाया गीता पुत्री कमला पत्नी अर्जुनलाल 1/2 दर्ज की स्वीकृति हुई है। जमाबन्दी सम्वत 2070 में खाता संख्या 154 में ख. नं. 679/213 रकबा 0.04 है0 गै. मु. सड़क के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2074–77 व गिरदावरी सम्वत 2080 में ख. नं. 213/571 रकबा 0.01 है0 गै. मु. बाड़ा के रूप में कमला पत्नी अर्जुनलाल हिस्सा 1/4 जाति बैरवा कमला पत्नि अर्जुनलाल 1/4 गीता पुत्री अर्जुनलाल 1/4 सुखदेवा पुत्र मागीलाल 1/2 जाति बैरवा सा. देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है।

अप्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेज नक्शा ट्रेस व नामान्तकरण संख्या 301 सुखदेवा अर्जुन पिता मांगीलाल कोम बैरवा सा. देह गैर खातेदार से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को अवार्ड संख्या 2332/09 से ख. नं. 679/213 बनाते हुए दर्ज की गई। खसरा गिरदावरी सम्वत 2042–45 के अनुसार साबिक ख. नं. 12/1 रकबा 12 बिस्वा गै. मु. आबादी सिवायचक व ख. नं. 12/1 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा चारागाह के रूप में दर्ज है। राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर की छायाप्रति दिनांक 24.11.2009 के अनुसार 213/571 निजी गै. मु. बाड़ा रकबा खातेदार सुखदेवा अर्जुन पि. मांगीलाल बैरवा के नाम का अंकन है।

उक्त दस्तावेजो का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में अप्रार्थीगण कमला पत्नी अर्जुनलाल, गीता पुत्री अर्जुनलाल, सुखदेवा पुत्र मागीलाल जाति बैरवा का नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं था और उस जमाबन्दी अनुसार साबिक ख. नं. 12/1 चारागाह के रूप में दर्ज रिकॉर्ड थी। अधिवक्ता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2042–45 के अनुसार साबिक ख. नं. 12/1 रकबा 12 बिस्वा गै. मु. आबादी सिवायचक व ख. नं. 12/1 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा चारागाह के रूप में दर्ज है। परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग की खतोनी जमाबन्दी सम्वत 2046–65 के अनुसार सुखदेवा अर्जुनलाल पिता मांगीलाल कोम बैरवा हि. ब. सा. देह गैर खातेदार के रूप में हाल ख. नं. 213/571 रकबा 0.05 है0 गै. मु. बाड़ा के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है और विरासत के नामान्तकरण संख्या 338/20.11.12 से अर्जुनलाल पिता मांगीलाल के बजाय गीता पुत्री कमला पत्नी अर्जुनलाल 1/2 दर्ज की स्वीकृति हुई है।

28.1.2025

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ख. नं. 213/571 रकबा 0.05 है0 भूमि में से 0.04 है0 भूमि एन.एच.ए.आई द्वारा अवाप्त की गई और शेष भूमि 213/571 रकबा 0.01 है0 गै. मु. खातेदार किस्म गै. मु. बाड़ा के रूप में भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि खसरा गिरदावरी सम्वत 2042–45 के अनुसार साबिक ख. नं. 12/1 रकबा 12 बिस्वा गै. मु. आबादी सिवायचक व ख. नं. 12/1 रकबा 20 बीघा 7 बिस्वा चारागाह के रूप में दर्ज है।

तहसीलदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया है कि सेटलमेंट से पूर्व इस भूमि के साबिक ख. नं. 12 का रकबा कितना था और किस्म क्या थी, किसके नाम थी और किसी प्रकार से और किस जमाबन्दी से साबिक ख. नं. 12 के हाल ख. नं. 213/571 रकबा 0.05 है0 अप्रार्थीगण के नाम लगाई गई है। इसको स्पष्ट करने का भार प्रार्थी तहसीलदार देवली पर था।

तहसीलदार द्वारा प्रा. पत्र धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत पेश किया है जबकि धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी प्रकार से रेवेन्यू रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत राजस्व रिकॉर्ड की मात्र लिपिकीय त्रुटि की ही शुद्धि होती है।

आदेश

अतः उक्त विवेचन से तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट 1956 के प्रावधानो के अन्तर्गत नहीं होने से प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 28.01.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

CamScanner